

(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE ORDINARY)

**OFFICE OF THE REGISTRAR CO-OPERATIVE SOCIETIES,
GOVT. N.C.T. OF DELHI, OLD COURT BUILDING,
PARLIAMENT STREET, NEW DELHI-110001**

F.No.47/1405/GH/CND/2013/

Dated: -

NOTIFICATION

F.No.47/1405/GH/CND/2013: - In exercise of powers conferred by Section 127 of the Delhi Co-operative Societies Act, 2003 (Delhi Act 3 of 2004), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi hereby exempts Sri Durga Co-operative Group Housing Society Ltd. (Regn. No. 1405/GH) from the provisions of Section 37(1)(b) and accordingly extends the period of supersession of the Managing Committee and the term of Administrator of the said Society for a period of further 90 days from 21-05-2013 to 20.08.2013 or till the democratic set-up is restored, whichever is earlier.

By order and in the name of
The Lieutenant Governor of the
National Capital Territory of Delhi.


**(VISHVA MOHAN)
ADDL. SECRETARY**

दिल्ली राजपत्र साधरण में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
सहकारिता विभाग संसद मार्ग नई दिल्ली

स0-एफ/47/1405/जीएच/सीएनडी/2013/

दि0:-

अधिसूचना

स0-एफ/47/1405/जीएच/सीएनडी/2012:- दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम की धारा 127 (दिल्ली अधिनियम-3; 2004) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री दुर्गा सहकारी समूह आवास समिति लि0 (स0.1405/जीएच) स0. अधि0. की धारा 37 (1) (ख) दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम 2003 (दिल्ली अधिनियम-3; 2004) के प्रावधानों से उन्मुक्त करते हैं तथा तदनुसार उक्त समिति की अतिक्रमण की अवधि व प्रशासक के कार्यकाल की अवधि अगले 90 दिन तक (21.05.2013 से 20.08.2013) अथवा जबतक कि तथाकथित समिति में प्रजातांत्रिक व्यवस्था पुनर्स्थापित हो जाने तक मे जो भी पहले हो तक बढ़ाई जाती है!

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के
उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर



(विश्व मोहन)
अतिरिक्त सचिव